



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 140 -काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/12-8 काविनी एवं वे०प्र०/08(टी०सी०।।।) दिनांक 14 मार्च, 2012

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निदेशक मण्डल की दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 को सम्पन्न सत्तासी (83)/11 बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में सीधी भर्ती से निम्नांकित पदों पर नियुक्त कर्मिकों को उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित उच्चिकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम सं०	पद का नाम (आणमन बिन्दु)	पद का वेतनमान (दिनांक 01.04.1984 से प्रवृत्त वेतनमानों में)	तृतीय समयबद्ध वेतनमान (दिनांक 01.01.1996 से प्रवृत्त वेतनमानों में)
1	2	3	4
1-	सहायक लेखाधिकारी (लागत)	2225-3500	16400-20000
2-	सम्भागीय अग्निशमन अधिकारी	2225-3500	16400-20000
3-	सहायक कार्मिक अधिकारी	2225-3500	16400-20000
4-	सांख्यिकीय सहायक	1650-2690	14300-18300

2. उपरोक्त तृतीय समयबद्ध वेतनमान प्रथमतः दिनांक 13.11.2008 से अनुमन्य होगा एवं अन्य कर्मिकों की अनुरूपता में तत्सम्बन्धित निर्गत आदेशों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण किया जायेगा। इस प्रकार वेतन निर्धारण समान स्तर पर होने की दशा में उसी स्तर पर, अन्यथा अगले स्तर पर किया जायेगा।

3. उपरोक्तानुसार तृतीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृति के पश्चात् कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 981-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/10-4काविनी/94 दिनांक 14.08.2010 सपठित स्पष्टीकरण आदेश सं० 1094-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/10-4 काविनी/94 दिनांक 01.09.2010 में निहित व्यवस्थायें प्रभावी करते हुए दिनांक 01.01.1996 अथवा 19 वर्ष की अन्वर्त्त सेवा पूर्ण करने पर, जो भी बाद में हो, से प्रकल्पित वेतन निर्धारण किया जायेगा एवं दिनांक 19.07.2010 तक की अवधि का कोई भी अवशेष देय न होगा।

4. समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता सम्बन्धी तद्विषयक संगत आदेशों में निहित प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

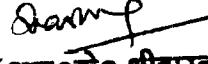
सं० 140 -(1) का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के विशेष कार्याधिकारी।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(क्रमशः.....2)

- 3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 4- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ/कोरको, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- 6- समस्त निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 11- महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 15- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 16- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 17- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 को सम्पन्न बैठक सत्तासी (83)/11 के सन्दर्भ में।
- 18- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 19- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(आर०के० श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)